

मुख्य उपखण्ड अधिकारी एवं उपजिला मजिस्ट्रेट, छबड़ा जिला बारां (राज.)

अर्चना पत्र सं.	धारा अंतर्गत	ग्राम	तहसील
136/16	१४.११.१२ के अंतर्गत 188 A10	बांसावाडी	छबड़ा
वादी	वाद शीर्षक	प्रतिवादी	
मो गीला	बनाम	जगदीश	

वकील :- **आदेश पत्रक** वकील :-

दिनांक	कार्यवाही एवं आदेश	विविध संदर्भ
12/16	वकील द्वारा एक वाद अंतर्गत धारा 14.11.12 के अंतर्गत 188 A10 विरुद्ध प्रतिवादी के न्यायालय में पेश किया रिपोर्ट सुनित और अवरोधन किया प्रकरण दर्ज रजिस्ट्रार के पास इस मसल पर उक्ति पत्रिका को पेश है। तलब कर प्रकरण दिनांक 17/1/17 को पेश है।	
17/17	आप पीतासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण प्रकरण पूर्ववत् स्थिति में दिनांक 21/2/17 को पेश हो।	
23/17	आप पीतासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण प्रकरण पूर्ववत् स्थिति में दिनांक 25/3/17 को पेश हो।	
26/17	राजकीय लोक अदालत अभियान के अंतर्गत कार्य पर न्याय आयोग द्वारा 2017 अति-आवश्यक वादी मो गीला का पुत्र वाल सुकरुड उपर बार-बार को वास लगवाई काफी प्रतिवादी का उपस्थित नहीं होने प्रतिवादी गण की तलबी हेतु वकील वादी तलबाना पत्र पेश कर उक्त दिनांक 25/7/17 को पेश हो।	पुत्र मो गीला (बांसावाडी)
25/17	आप पीतासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण प्रकरण पूर्ववत् स्थिति में दिनांक 29-8-17 को पेश हो।	
	आप पीतासीन अधिकारी के अन्य कार्य में व्यस्त होने के कारण प्रकरण पूर्ववत् स्थिति में दिनांक 26-9-17 को पेश हो।	




कार्यवाही एवं आदेश

दिनांक

29.5.24

आपका पीछारीत अधिकारी के अन्य कार्य में लगे रहने के कारण पत्रावली पूर्ववत स्थिति में प्रेषण प्रवृत्त है।
 दिनांक 30.7.24 को पेश हो।


 शिडर
 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
 छबड़ा (बारा)

30.7.24

पत्रावली पेश हुई। कमील वादी एवं स्वयं वादी उपठोनी हैं। न्यायालय के कल-कल कर 03 बार आवाज लावाई गई जोई उपस्थित नहीं हुए। न्यायालय विस्तारित होने तक इंजिनर किया गया। कमील वादी एवं स्वयं वादी उपस्थित नहीं। प्रकरण ऊपर हाजरी ऊपर परकी के खारिज किया जाता है। पत्रावली प्रेशल शुभार होकर बाद वापील लखमील के साकिल उपर हो।

